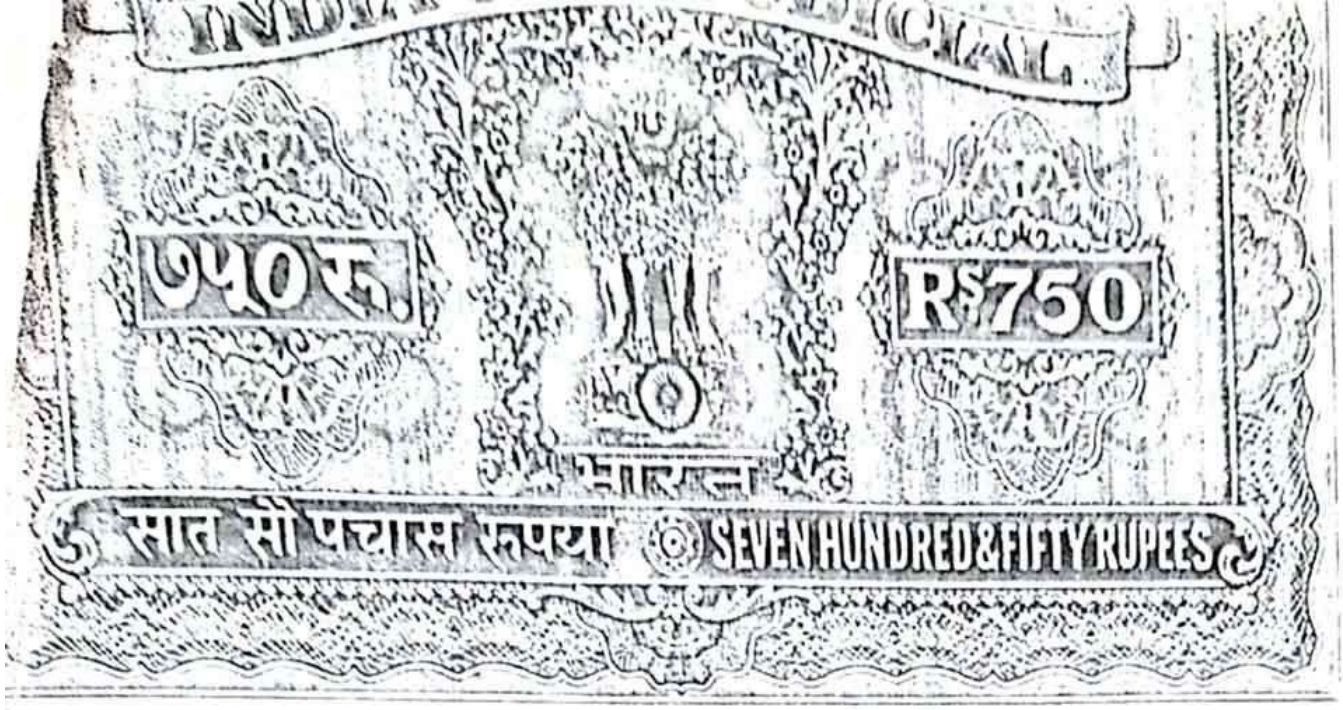

विक्रय- विलेख

सम्पत्ति-	भूमि खन्ड
क्षेत्रफल -	280•56 वर्ग मीटर
विक्रित धन राशि-	10,000 रु0
निर्धारित मूल्य के अनुसार भूमि खन्ड का मूल्य	रु0 14913•58
समर्पित स्टाम्प शुल्क -	रु0 1425

विक्रय किये जा रहे भूमि खन्ड के अतिरिक्त विक्रेता के पास उत्तर प्रदेश राज्य में कोई अन्य भूमि खन्ड या सम्पत्ति नही है तथा विक्रय की जा रही सम्पत्ति शहरी भूमि सीमा रोपण में नही आती है ।

यह विक्रय विलेख दिनांक 27 माह अक्टूबर वर्ष 1978 को स्थान देहरादून में श्रीमती शीला गुलाटी धर्म पत्नि मेजर एस0 पी0 गुलाटी निवासी 19 डी0 डी0 ए0 फ्लेटस् सेख सराय, मालविया नगर, नई देहली -17 जिसकों इस पत्र

Mrs. Shila Gulati

7

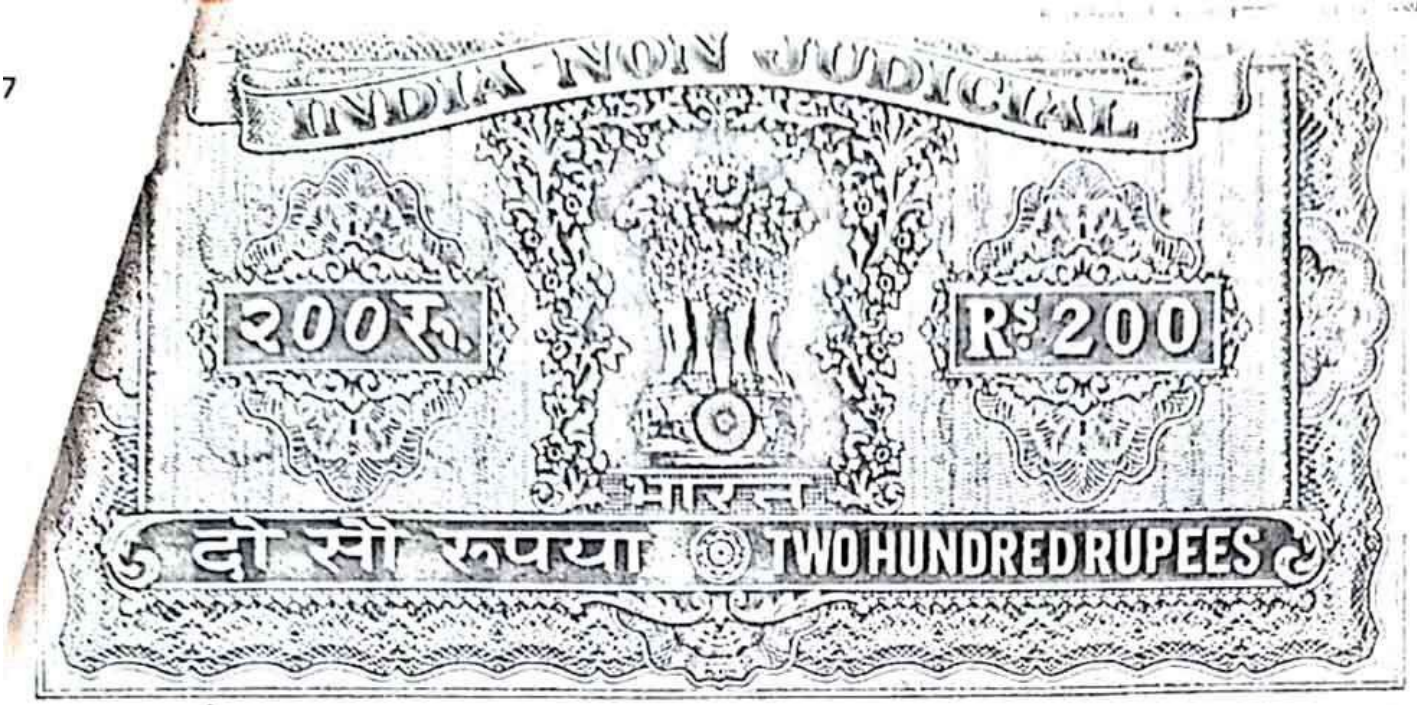

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

में विक्रेता कह कर सम्बोधित किया है --------- विक्रेता---
तथा श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री रंगी लाल निवासी 3 ओंकार रोड़ देहरादून, जिसको इस पत्र में क्रेता कह कर सम्बोधित किया गया है ------- क्रेता---- के मध्य अंकित हुआ ।

जैसा कि विक्रेता विक्रय किये जा रहे भूमि खन्ड कि जिसको सूचि में दर्शाया गया है तथा सलग्न मानचित्र में शब्द ए0, बी0, सी0, डी0, से दर्शाया गया है, की पूर्ण स्वामिनी है। विक्रेता ने सूचि में वर्णित भूमि खन्ड एक श्री मोती राम पुत्र श्री नत्थू राम निवासी 65/1 जी0 बी0 रोड देहली-- 6 से विक्रय पत्र दिनांक 29-6-1964 द्वारा क्रय की थी । कथित विक्रय पत्र का पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्टार देहरादून में बही संख्या । जिल्द संख्या 712 के पृष्ठ 153/154 में सिलसिला नं0 2461 पर दिनांक 14-9-64 को हुआ ।

जैसा कि कथित भूमि खन्ड प्रत्येक प्रकार के भार- बन्धन से मुक्त है और कहीं रहन या गिरवी नही है। और विक्रेता को

Mrs. Shila Gulati

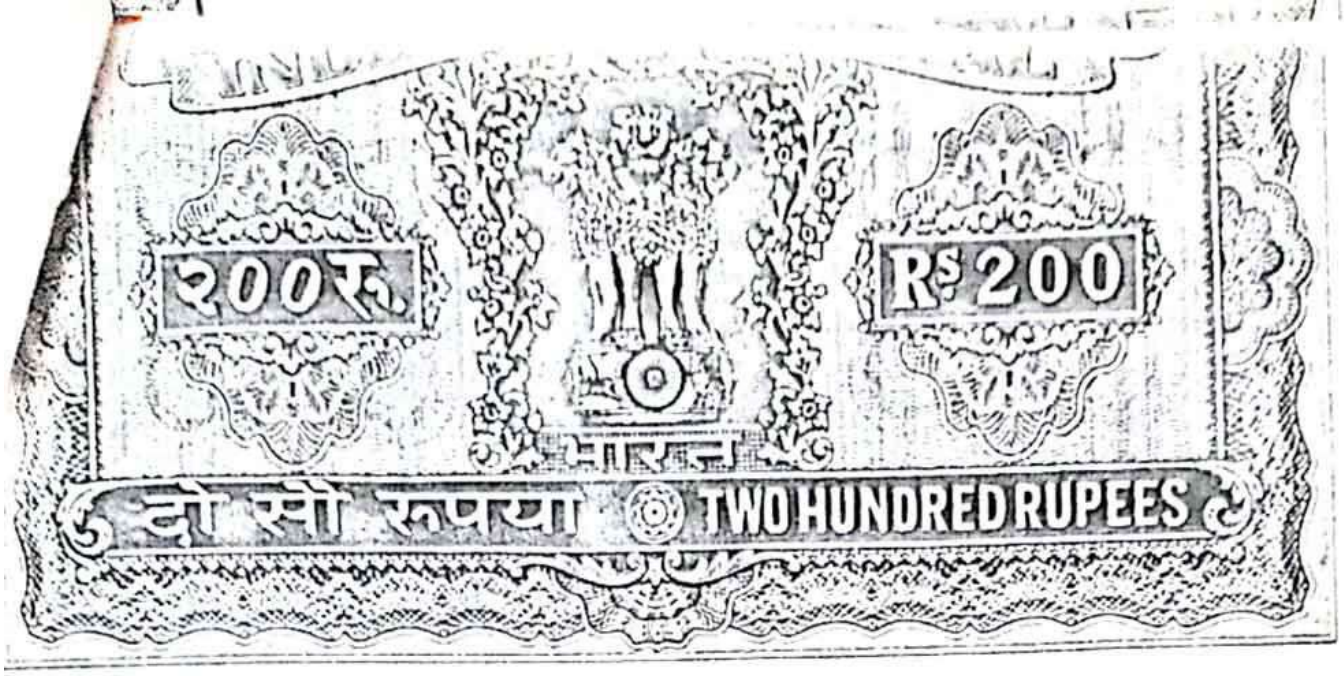

भूमि खन्ड विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

जैसा कि विक्रेता ने क्रेता को इकरार नामा दिनांक 26-6-78 द्वारा सूचि सम्पत्ति (भूमि खन्ड) को मुबलिग रू०10,000(दस हजार) में विक्रय करने तथा क्रेता ने इकरार नामा दिनांक 26-6-1978 द्वारा विक्रेता से सूचि सम्पत्ति (भूमि खन्ड) को रू० 10,000 (दस हजार) रुपये में क्रय करने का इकरार किया है। इकरार नामा दिनांक 26-6-1978 का पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून में बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1485 के पृष्ठ 319/324 सिलसिला संख्या 5624 पर दिनांक 1-7-1978 को हुआ ।

जैसा कि क्रेता ने विक्रेता को, विक्रय मूल्य 10,000रु० (दस हजार) में से अग्रिम धन राशि रुपये 5000(पांच हजार) रुपये दिनांक 26-6-78 को बैंक ड्राफ्ट दिनांक 26-6-78 बैंक युनियन बैंक आफ इन्डिया देहरादून संख्या एन० डी० डी० 020770 क्रमांक 542 के द्वारा अदा कर दिये है। और शेष धन राशि क्रेता ने विक्रय के समय देनी थी । Mrs. Shila Gulati

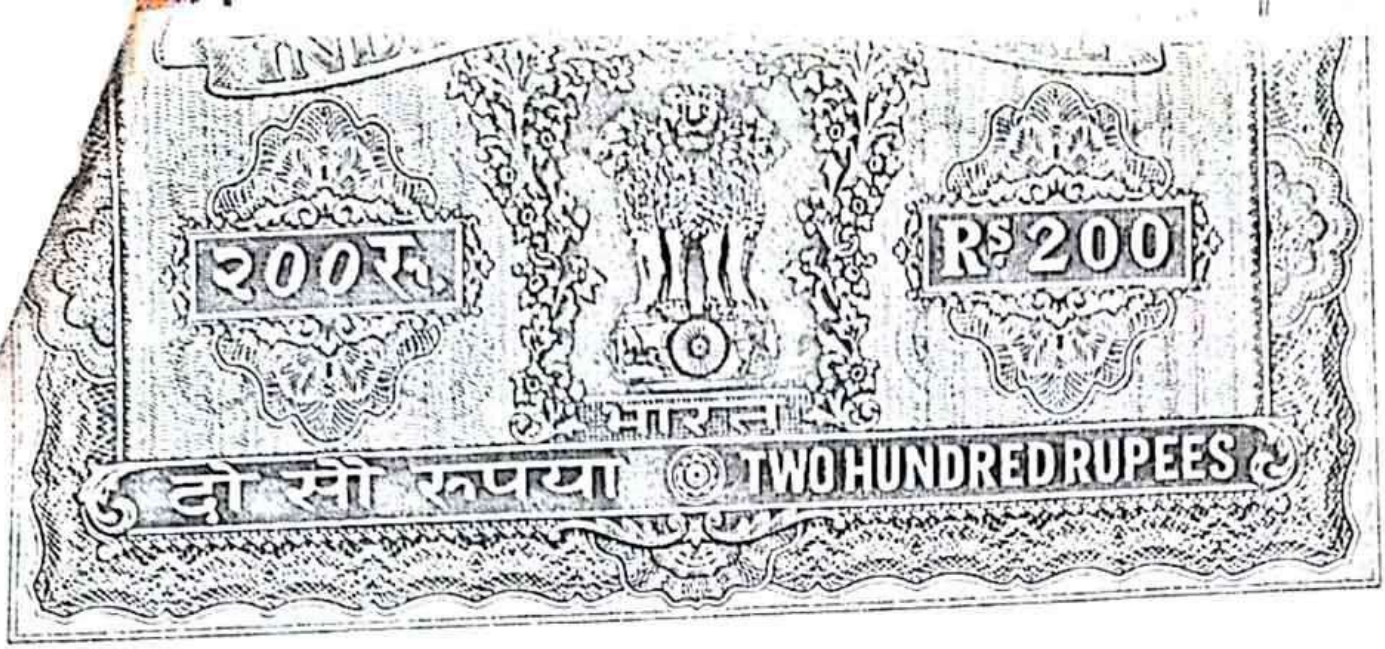

तथा जैसा कि विक्रेता ने सूचि सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी सीलिंग देहरादून को शहरी भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 26 के अन्तर्गत सूचना पत्र दिनांक 4-7-1978 को प्रेषित किया था तथा जिस पर सक्षम अधिकारी सीलिंग देहरादून ने कोई आपत्ति नही की। तथा प्रार्थना पत्र देने के दो माह दिनांक 4-9-78 को व्यतीत हो चुके है इस प्रकार अधिनियम की धारा 26(2) के अन्तर्गत विक्रेता को अनुमति प्राप्त है ।

अत: यह विलेख साक्ष्यांकित करता है --

1- यह कि उक्त क्रेता ने विक्रेता को विक्रय की जा रही सम्पत्ति (भूमि खण्ड) कि जो सलग्न मानचित्र में शब्द ए०, बी, सी, डी०, से दर्शाया है, के प्रति फलस्वरूप रुपये 10,000 (दस हजार) रूपये में विक्रय तथा हस्तान्तरित कर दी है। विक्रित धन- राशि क्रेता ने निम्न अनुसार प्राप्त कर ली है ।

क- रुपये 5000(पांच हजार) अग्रिम धन राशि के रूप में दिनांक 26-6-1978 को बैंक ड्राफ्ट दिनांक 26-6-1978

Mrs. Shila Gulati

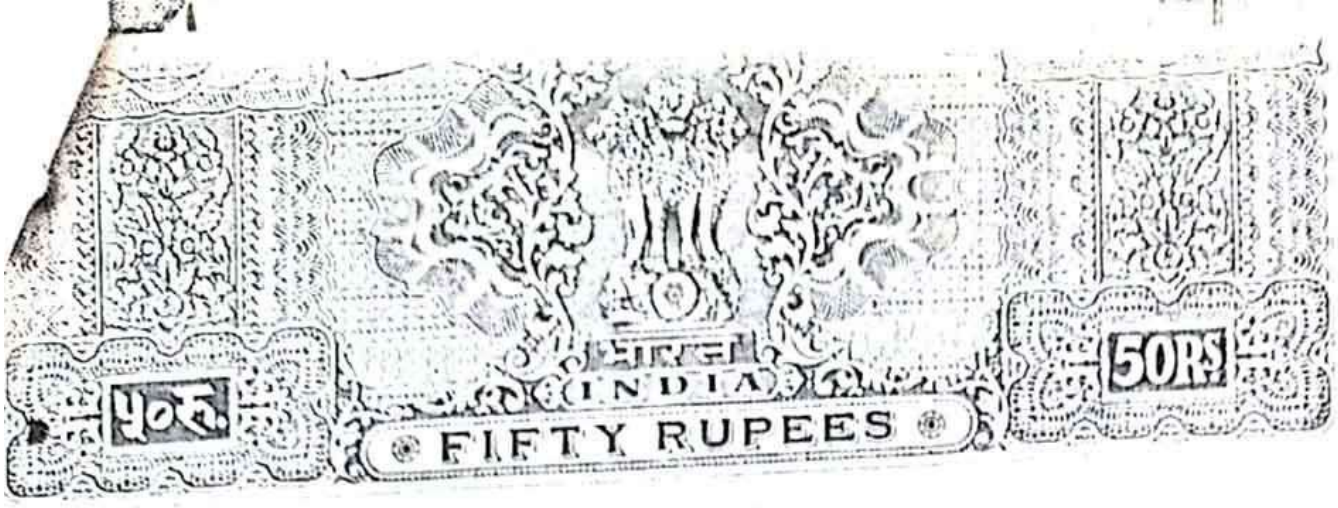

INDIA

FIFTY RUPEES

50RS

बैंक यूनियन बैंक आफ इन्डिया देहरादून संख्या एन० डी० डी०, 020770 क्रमांक 542 के द्वारा,

ख- रुपये 5000 (पाँच हजार) रुपये बैंक ड्राफ्ट एन० डी० डी०, 024597 दिनांक 26-10-78 यूनियन बैंक आफ इन्डिया, देहरादून के द्वारा इस विक्रय विलेख के पंजीकरण के दिन सब रजिस्ट्रार महोदय देहरादून के समक्ष अदा कर दिये है, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करती है, इस विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि से विक्रय की जा रही सम्पत्ति कि जिसको सूचि में स्पष्ट दर्शाया है तथा सलग्न मानचित्र में शब्द ए०, बी०, सी०, डी०, से दर्शाया गया है, का पूर्ण स्वामित्व पूर्ण रूप से सदैव हेतु क्रेता में निहित हो गया है एवं वह स्वंय, उसका उत्तराधिकारी दायाद, प्रशासक, अभिहस्तांकिती उसका उपयोग एवं उपभोग किसी भी प्रकार से करने के अधिकारी होगे, जिसमें विक्रेता उसका दायाद प्रशासक उत्तराधिकारी, अभिहस्तांकिती किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नही करेगें ।

2- यह कि विक्रेता ने क्रेता को सूचि सम्पत्ति का वास्तविक रिक्त अध्यासन आज सौंप दिया है तथा क्रेता सूचि सम्पत्ति पर अध्यासित हो गया है ।

Mrs. Shila Gulati

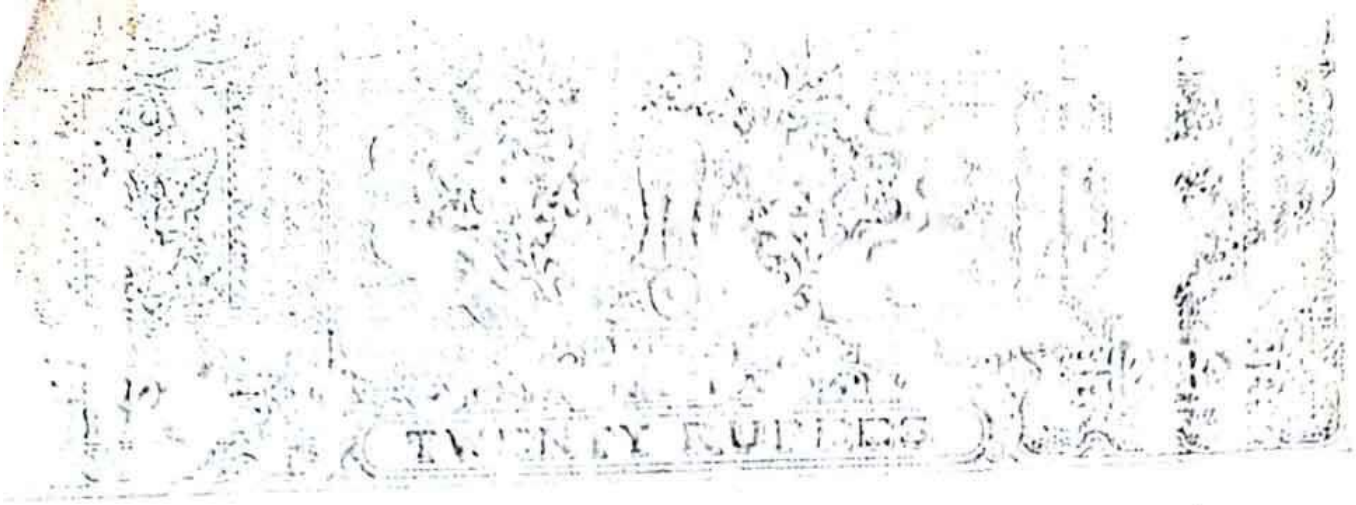

3- यह कि विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से अब क्रेता सूचि सम्पत्ति को किसी को भी अन्तरित कर सकेगा, अभिहस्तान्तरित कर सकेगा एवं दे सकेगा ।

4- यह कि आज तक की तिथि के सूचि सम्पत्ति पर भारित समस्त कर इत्यादि को अदा करने का दायित्व विक्रेता का है। तथा आज के बाद भविष्य के समस्त कर इत्यादि क्रेता अदा करेगा ।

5- यह कि विक्रेता क्रेता को निम्न दर्शाता है -

क- यह कि विक्रय की जा रही सम्पत्ति समस्त प्रकार के भार अभिभार व बन्धक इत्यादि से पूर्णता मुक्त है । भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका दायित्व विक्रेता पर होगा ।

ख- यह कि विक्रय की जा रही सम्पत्ति का स्वामित्व पूर्णत. शुद्ध है । भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका दायित्व विक्रेता पर होगा ।

ग- यह कि यदि किसी कारण वश क्रेता से सम्पत्ति का कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व के दोष के कारण निकल जावे तो विक्रेता उस भाग का हर्जाना क्रेता को अदा करेगी ।

Mrs. Shila Gulati

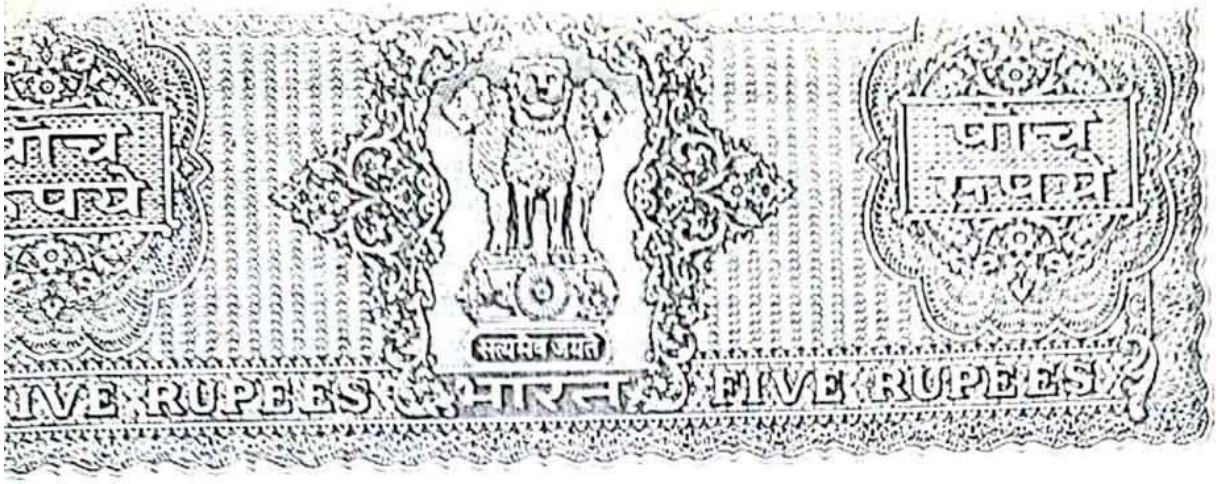

घ- यह कि यदि उपरोक्त विक्रय को प्रभावी बनाने के लिये यदि विक्रेता को अन्य कोई दस्तावेज अंकित कराना पड़ता है तो वह क्रेता के व्यय पर अंकित करेगी ।

सूचि- सम्पत्ति

भूमि खन्ड जिसका नगर पालिका का नम्बर 80 है तथा जिसका क्षेत्रफल 280·567 वर्ग मीटर (3020 वर्ग फीट) है । कि जिसको सलग्न मानचित्र में शब्द ए0, बी0, सी0, डी0, से दर्शाया गया है स्थित कृष्ण नगर देहरादून तथा जिसकी सीमाऐ निम्न प्रकार है -

उत्तर में:- खुली भूमि खन्ड संख्या 81 कृष्ण नगर देहरादून ।

दक्षिण में :- सम्पत्ति श्री एन0 आर0 द्विवेदी सम्पत्ति संख्या 45 कृष्ण नगर, प्लाट सं0 79 कृष्ण नगर, देहरादून ।

पूर्व में :- सम्पत्ति श्रीमती प्रकाश वती सम्पत्ति संख्या 26, प्लाट संख्या 103 कृष्ण नगर देहरादून ।

पश्चिम में - 20 फुट चौडी सड़क ।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर की ओर 4 फिट ऊंची तथा 75' x-6" लम्बी विक्रेता की बाउन्डरी वाल बनी है जिस का स्वामी अब क्रेता हो गया है ।

Mrs. Shila Gulati

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त विक्रेता ने निम्न लिखित साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक, माह तथा वर्ष पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

विक्रेता

Mrs. Shila Gulati
श्रीमती शीला गुलाटी

साक्षी

1- R. N. Khanna
37 Jhanda Mohalla
D.Dun

2- [illegible]

यह विक्रय पत्र श्री सुभाष चन्द्र विरमानी , अधिवक्ता ने रचा तथा उनके कार्यालय में उनके निजि टंकणी ने टंकित किया है ।

[signature]
(सुभाष चन्द्र विरमानी)
अधिवक्ता
देहरादून

1520 348/356

9172/9173 ... ९।।। सहित ... दस्तावेज ... की रजिस्ट्री की गई।

28/0.78

SR